

प्रारूप 21 ग
(नियम 64 देखिए)
(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।


67-किच्छा विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से **उत्तराखण्ड** (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि:-

श्री तिलक राज बेहड़,

निवासी ए-123 विवेकानन्द नगर, आवास विकास रूद्रपुर जो (मान्यता/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) **इंडियन नेशनल काँग्रेस** द्वारा खड़े किए गये हैं उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये हैं।

स्थान -बिगवाड़ा रूद्रपुर
तारीख-10.03.2022


(कौस्तुभ मिश्र)
रिटर्निंग आफिसर
67-किच्छा
रिटर्निंग आफिसर
67-विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

Conduct of Election Rules, 1961
(Statutory Rules and Other)
FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the results of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the Legislative Assembly of **UTTARAKHAND** from **67-KICHHA** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951 read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declare that-

Tilak Raj Behar

of **A-123 Vivekanand Nagar, Aawas Vikas Rudrapur** (sponsored by **Indian National Congress** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place- Bigwara Rudrapur

Date- 10-03-2022



(Kaustubh Mishra)
Returning Officer

67-Kichha
रिटर्निंग ऑफिसर

67 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र